# झारखण्ड विधान सभा

## अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

**चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा**
**पंचदश (बजट) सत्र**
**वर्ग–01**

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 01 माघ 1940 (श0) ..... को 21 जनवरी, 2019 (ई0)

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

| क्र0सं0 | विभागों को संसूचित की गई सा0 सं0 | सदस्य का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागों को भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 24 | अ0सू0–01 | श्री जगरनाथ महतो, | वेतनमान देना। | गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन | 13.01.2019 |
| 25 | अ0सू0–06 | श्री सुखदेव भगत, | प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति | कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा | 14.01.2019 |
| 26 | अ0सू0–08 | श्री राधाकृष्ण किशोर, | पुलिस अधिनियम में परिवर्तन। | गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन | 16.01.2019 |
| 27 | अ0सू0–10 | श्री प्रदीप यादव, | मुआवजा एवं नौकरी देना। | गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन | 16.01.2019 |
| 28 | अ0सू0–02 | श्री शिवशंकर उरांव, | अनुसूचित जनजाति समुदाय में शामिल किए जाने पर रोक | कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा | 13.01.2019 |
| 29 | अ0सू0–09 | श्री प्रदीप यादव, | वित्तीय संकट से उबरने के लिए कदम | योजना सह–वित्त | 16.01.2019 |
| 30 | अ0सू0–03 | श्री ढुलू महतो, | अनु0जाति में शामिल करना | कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, तथा राजभाषा | 13.01.2019 |
| 31 | अ0सू0–05 | श्री आलमगीर आलम, | विकास दर में गिरावट पर रोक | योजना सह–वित्त | 13.01.2019 |
| 32 | अ0सू0–07 | श्रीमती गीता कोड़ा, | रिक्त पदो पर नियुक्ति | कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, तथा राजभाषा | 16.01.2019 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | अ0सू0–11 | श्री मनीष जायसवाल, | प्रतिबद्धता समाप्त करना। | कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, तथा राजभाषा | 16.01.2019 |
| 34 | अ0सू0–13 | श्री निर्भय कु0शाहाबादी, | बकाया राशि की वसूली | मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी | 16.01.2019 |
| 35 | अ0सू0–12 | श्री बिरंची नारायण, | सूचना आयुक्तों की बहाली | कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, तथा राजभाषा | 16.01.2019 |
| 36 | अ0सू0–14 | श्री प्रकाश राम, | दिशा–निर्देश जारी करना। | कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, तथा राजभाषा | 16.01.2019 |
| 37 | अ0सू0–04 | श्री ढुलू महतो, | अल्पसंख्यक का दर्जा देना। | कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, तथा राजभाषा। | 13.01.2019 |

राँची
दिनांक–21 जनवरी,2019 (ई0)

**महेन्द्र प्रसाद**
**सचिव,**
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0–03/2015–610/वि0स0,रांची,दिनांक–20/1/19

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

17.01.19
(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0–03/2015–610/वि0स0,रांची,दिनांक–20/1/19

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, आप्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

17.01.19
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या––झा0वि0स0–03/2015–610/वि0स0,रांची,दिनांक–20/1/19

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

17.01.19
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

राय/

17.01.19

(24)

श्री जगरनाथ महतो, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.01.2019 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि देश में गृह रक्षा वाहिनी का गठन 6 दिसम्बर 1947 को पुर्नगठन 6 दिसम्बर 1962 को देश में व्याप्त आपात स्थिति को देखते हुए किया गया था ; | आंशिक स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि गृह रक्षकगण पुलिस जवान के समकक्ष उग्रवाद, नक्सल वो अन्य जगहों पर सशस्त्र व लाठी डयूटी करते है, लेकिन इन्हें नियमित डयूटी नहीं दी जाती है ; | स्वीकारात्मक। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि कुछ गृह रक्षकों को बिना कारण पृच्छा दिये विभाग द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है ; | गृह रक्षक स्वयंसेवक है। उन्हें सरकारी सेवा का स्थायी सदस्य नहीं माना जा सकता है। किसी भी स्वयंसेवी को डयूटी पर रखा जाना या न रखा जाना उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। गृह रक्षक के रूप में नामांकित गृह रक्षकों को डयूटी मिलने का कोई अधिकार नहीं बनता है। आकस्मिक आवश्यकता के मद्देनजर स्वयंसेवी गृह रक्षकों को डयूटी दी जाती है। अतः गृह रक्षकों की सेवा न लेने में कोई कारण बताया जाना या न बताया जाना, यह वर्णित परिपेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं है। |
| 4 | क्या यह बात सही है कि पूर्व मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार ने दिनांक–11.07.2017 को पत्रांक–1120/17 द्वारा राज्य के सभी उपायुक्त वो वरीय पुलिस अधीक्षकों को गृहरक्षकों के नियमित डयूटी के लिए पत्र प्रेषित किया गया था ; | आंशिक स्वीकारात्मक। |
| 5 | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, सेवा मुक्त किये गये गृह रक्षकों का पुनः सेवा बहाल करने वो गृह रक्षकों को 30 दिनों का नियमित डयूटी देने तथा "समान काम समान वेतन" के आधार पर पड़ोसी राज्य बिहार के तर्ज वेतनमान वो अन्य सुविधा देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>सम्प्रति झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी मूलतः एक स्वयंसेवी संगठन है। इसका गठन, रोजगार के माध्यम के रूप में नहीं किया गया है बल्कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वावलंबी नागरिक शक्ति के रूप में प्रशासन की सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है। ये स्वयंसेवी होते हैं जिनकी सेवा आकस्मिक स्थिति में अस्थायी अवधि के लिए ली जाती है। चूँकि गृह रक्षक स्वयंसेवक होते हैं। अतः सेवा मुक्त गृह रक्षकों को पुनः वापस सेवा में लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।<br>सभी जिलों में ऑन–लाईन के तहत रोस्टर अनुसार डयूटी दिया जा रहा है। किन्तु गृह रक्षकों को नियमित डयूटी देने का कोई प्रावधान नहीं है।<br>गृह रक्षकों को समुतल्य भत्ता देने के संबंध में मा० उच्च न्यायालय में दायर वाद सं०–W.P. (S) No-582/2017, अजय प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक–25.08.2017 को पारित न्यायादेश से उदभूद L.P.A No-272/2018 में न्यायादेश की प्रतीक्षा की जा रही है।<br>सम्प्रति गृह रक्षकों को समुल्य भत्ता देने का मामला मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। |

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स० (प्रश्न)–02/2019–382/ राँची, दिनांक–26/01/2019ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–190, दिनांक–13.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/01/19
सरकार के अपर सचिव।

25

**श्री सुखदेव भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.01.2019 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– 06 का प्रश्नोत्तर**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का 592 पद खाली है। | स्वीकारात्मक।<br>झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के विभिन्न कोटियों के अन्तर्गत 592 पद रिक्त है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रशासनिक पदाधिकारियों का लम्बे समय से प्रोन्नति भी नहीं दी जा रही है। | अस्वीकारात्मक।<br>वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रोन्नति से रोक हटाए जाने के पश्चात वर्ष माह जुलाई 2018 में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव स्तर के 03 पदाधिकारियों को विशेष सचिव स्तर में संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि के 14 पदाधिकारियों को अपर सचिव एवं समकक्ष कोटि में तथा अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि के 64 पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है।<br>इसके पूर्व वर्ष 2016 एवं 2017 में कुल 86 पदाधिकारियों को विभिन्न कोटियों में प्रोन्नति प्रदान की गई है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि इसके कारण प्रशासनिक एवं विकास कार्य प्रभावित हो रहे है। | अस्वीकारात्मक। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रशासनिक पदों पर बहाली एवं प्रमोशन देने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ? | विभागीय पत्रांक– 7790 दिनांक 07.09.2016 द्वारा षष्टम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2016 हेतु उप समाहर्त्ता के 143 रिक्त पदों पर, पत्रांक– 7467 दिनांक 19.08.2013 द्वारा पंचम सीमित उप समाहर्त्ता परीक्षा हेतु 05 पदों पर एवं पत्रांक– 10248 दिनांक 05.12.2016 द्वारा षष्टम सीमित उप समाहर्त्ता परीक्षा हेतु उप समाहर्त्ता के 28 पदों, नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गई है। आयोग से नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होने पर इन पदाधिकारियों को उप समाहर्त्ता के पद पर नियुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।<br>झा0प्र0से0 के मूल कोटि से अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर तथा अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर से अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। |

**झारखण्ड सरकार**
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

ज्ञापांक– 4/विधानसभा–08–04/2019 का॰ 477 / राँची, दिनांक 18 जनवरी, 2019

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 226 वि.स. दिनांक 14.01.2019 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/19

(आम प्रकाश साह)
**सरकार के उप सचिव।**

D:\LETTER\Vidhan Sabha\VIDHAN SABHA Question- 2019.doc

(26)

श्री राधाकृष्ण किशोर, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.01.2019 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में अपराध नियंत्रण एवं अनुसंधान में गुणवत्ता लाने, पुलिस द्वारा जनता को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु पुलिस रिफार्म्स तथा झारखण्ड पुलिस अधिनियम में परिवर्त्तन की आवश्यकता है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पुलिस रिफार्म्स के लिए 49 सिफारिशें की गई है ; | स्वीकारात्मक। |
| 3 | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि खण्ड–II में वर्णित 49 सिफारिशें के आलोक में उसके क्रियान्वयन एवं पुलिस अधिनियम में परिवर्त्तन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | पुलिस रिफोर्मस् के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सिफारिशों के क्रियान्वयन एवं झारखण्ड पुलिस अधिनियम के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। |

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–13 / वि०स०–101 / 2019–420 / राँची, दिनांक– 20/01/2019 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–394, दिनांक–16.01.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/01/19
सरकार के अपर सचिव।

(27)

## श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–21.01.2019 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–10 का उत्तर प्रतिवेदन

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि दिनांक–15.09.2016 को जरीडीह बाजार, अंचल–बेरमो, थाना–गांधीनगर, जिला–बोकारो (झारखण्ड) में 3 युवकों की मौत CCL के कुएं की जहरीली गैस की चपेट में आने से हो गई थी ; | स्वीकारात्मक ।<br>वस्तुस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली के माध्यम से श्री कुणाल कुमार निषाद्, ग्राम+पोस्ट–जरीडीह बाजार, थाना–गांधीनगर, जिला–बोकारो का अभ्यावेदन विभाग को प्राप्त हुआ था। विषयांकित मामला "गैस रिसाव संबंधी आपदाओं से होनेवाले जान–माल की क्षति" प्राकृतिक आपदाओं/राज्य की स्थानीय आपदा की सूची में नहीं होने के कारण विभागीय पत्रांक–931, दिनांक–24.08.2017 द्वारा मुख्य प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल कोल फिल्ड लिमिटेड (CCL) राँची को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। |
| 2. क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र के आलोक में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार के अपर सचिव द्वारा CCL राँची के मुख्य प्रबंध निदेशक को क्षतिपूर्ति हेतु नौकरी, पुनर्वास एवं मुआवजा इत्यादि देने का अनुरोध पत्र प्रेषित किए जाने के वाबजूद भी पीड़ित परिवार को अबतक उक्त लाभ से वंचित रखा गया है ; | उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |
| 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार उक्त पीड़ित परिवारों को सम्मान पूर्वक मुआवजा एवं नौकरी दिलाने हेतु ठोस कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प सं०–969, दिनांक–25.10.2018 द्वारा गैस रिसाव संबंधी आपदा को राज्य की विशिष्ट आपदा घोषित की गई है, जो संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी है। |

**झारखण्ड सरकार**
**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग**
**(आपदा प्रबंधन प्रभाग)**

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०प्र०(विधायी)–29/2019–39/आ०प्र०, राँची, दिनांक– 18/1/19

**प्रतिलिपि–** माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–393, दिनांक–16.01.2019 के प्रसंग में/प्रधान सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/19

सरकार के उप सचिव

D:\Rashmi jee\vidhan sabha roaster duty 18.docx 18

(28)

**श्री शिवशंकर उराँव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.01.2019 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–02 का प्रश्नोत्तर**

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | श्री शिवशंकर उराँव, माननीय स०वि०स० | माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची। |
| 1 | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में गैर जनजाति पुरूषों द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं के साथ विवाह करके ऐसे व्याहिताओं के नाम पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के भू–हस्तांतरण प्रतिबंध का उलंघन कर भू–सम्पति अर्जित कर रहें है ; | आंशिक स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि छोटानागपुर कार्यकारी अधिनियम के पंचातीराज व्यवस्था के तहत् जनप्रतिनिधित्व जैसे वार्ड सदस्य पंचायत समिति सदस्य मुखिया प्रमुख जिला परिषद सदस्य आदि संवैधानिक पदों पर भी घुसपैठ कर रहें है, तथा उनकी जनजातियों के लिए आरक्षित रोजी रोजगार के संसाधनों पर भी कब्जा कर रहे है ; | जनप्रतिनिधित्व संबंधी मामले ग्रामीण विकास विभाग तथा रोजी रोजगार के संसाधनों से संबंधित मामले कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से संबंधित है। उक्त दोनों विभागों से उत्तर सामग्री की माँग विभागीय पत्रांक–224 / रा०,दिनांक–17.01.2019 द्वारा किया गया है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऐसे कृत्यों को रोकने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् की अनुशंसा एवं मंत्रिमंडलीय अनुमोदनोपरांत जनजातीय महिलाओं की अचल संपत्ति का गैर –जनजाति पुरूष के साथ शादी करने पर उक्त महिला की अचल संपत्ति की पुर्नवापसी हेतु "झारखण्ड राज्य अनुसूचित क्षेत्र अचल संपत्ति का हस्तांतरण (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) विनियमन, 2018 महामहिम राष्ट्रपति भारत के अनुमोदनार्थ भेजा गया है। |

**झारखण्ड सरकार**

**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।**

ज्ञापांकः– 6 / वि०स0 (अ0सू0)–09 / 19 – 242/रा  दिनांक–.....18-01-19

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–176 वि0स0, दिनांक–13.01.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.19

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

(29)

**श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–21.01.2019 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–09 का उत्तर।**

| क्रम सं० | अल्प सूचित प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय की मुख्य स्रोतों में से 11000 करोड़ ऋण के रूप में प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है ? | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि राज्य का बकाया कर्ज और GSDP का अनुपात 25 प्रतिशत की सीमा को पार कर जाने के कारण FRBM Act के प्रतिकूल है ? | अंशतः स्वीकारात्मक। FRBM (amendment) Act, 2011 के प्रावधान के अनुसार ऋण तथा GSDP के अनुपात को 26.9 प्रतिशत तक रखा जाना है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार अब कर्ज भी लेने में अक्षम साबित हो रही है ? | अस्वीकारात्मक। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस वित्तीय संकट से उबरने के लिए ठोस कदम उठाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | स्थिति ऊपर स्पष्ट कर दी गई है। |

**झारखण्ड सरकार**
**योजना सह वित्त विभाग**
**(वित्त प्रभाग)**

**ज्ञापांक : 10 / वि०स०(4)–07 / 2019 /** 35 / प्रश्न **राँची, दिनांक :** 19/01/2019

**प्रतिलिपि :** अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के online प्रश्न संख्या 498, दिनांक के सन्दर्भ में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.01.19

**( अविनाश कुमार सिंह )**
सरकार के संयुक्त सचिव,
योजना सह वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(30)

**श्री ढुलू महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.01.2019 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–03 का उत्तर प्रतिवेदन।**

श्री ढुलू महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.01.2019 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–03 का उत्तर निम्नवत् अंकित है:–

| क्र | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में खटिक जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एनेक्सर–1) में रखा गया है; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि खटिक जॉति को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेंत देश के 12 राज्यों में अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है; | स्वीकारात्मक। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि खटिक जाति सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ी है, इनकी कुल आबादी का 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते है इनका पेशा भी सुअर बकरी, मुर्गा पालना एवं उसके मांस का व्यपार करना है; | डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्थान द्वारा इस जाति पर शोध नहीं किया गया है। सम्प्रति सूचना संधारित नहीं है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खटिक जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों? | खटिक जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किए जाने के सम्बन्ध में शोध संस्थान से प्रतिवेदन प्राप्त की जाएगी। |

**झारखण्ड सरकार,**
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–02 / 2019 का0–591 / रांची, दिनांक 19.1.19

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–177 वि0स0, दिनांक–13.01.2019 के प्रसंग में 250 (दो सौ पचास) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/19
(दीपक कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

(31)

## श्री आलमगीर आलम, स0वि0स0 से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न सं0–05 की उत्तर सामग्री

| क0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 और 2014–15 में रियेल ग्रोथ के पैमाने पर औसत विकास दर 7.4 प्रतिशत रही है; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित रियेल ग्रोथ के पैमाने पर वित्तीय वर्ष 2015–16 और 2016–17 में राज्य की औसत विकास दर घटकर 6.8 प्रतिशत रही है ; | स्वीकारात्मक। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य की औसत विकास दर में आयी गिरावट को रोकने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | राज्य सरकार विकास दर में बढ़ोतरी हेतु सतत् प्रयासरत् है। |

**झारखण्ड सरकार**
**योजना–सह–वित्त विभाग**
**(योजना प्रभाग)**

ज्ञापांक–74(यो०) रॉची, दिनांक 19.01.2019

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 173 दिनांक 13.01.2019 के आलोक में 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/1/19

(अखिलेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(32)

**माननीय श्रीमती गीता कोड़ा, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–21.01.2019 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–07 का उत्तर प्रतिवेदन।**

| क्र0सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न विभागों में कुल–11,84,012 पद सृजित है जिसके विरूद्ध 5,19,497 पदों पर ही लोग कार्यरत है और 6,64,565 पद रिक्त है? | अस्वीकारात्मक।<br><br>राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित कोषागार से राज्यकर्मियों के वेतनादि के भुगतान के संबंध में संकलित सूचना के आधार पर राज्य के विभिन्न जिलों/विभागों में स्थायी पदों के विरूद्ध 1,79,305 कर्मी कार्यरत हैं। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पद रिक्त रहने के बावजूद राज्य के बेरोजगार युवा पलायन को मजबूर है; | वर्ष, 2015 से अबतक विभिन्न विभागों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में कुल–76,981 रिक्त पदों के विरूद्ध कुल–35,475 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की जा चुकी है तथा शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। |
| 3. | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित विषय के आलोक में राज्य के रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु कदम उठाने की विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | उपर के खंडों में स्थिति स्पष्ट की गयी है। |

**झारखण्ड सरकार,**
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–04/2019 का0...526...../राँची दिनांक– 19 जनवरी, 2019

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–396, दिनांक–16.01.2019 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/19
(राज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

(35)

**माननीय श्री बिरंची नारायण, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–21.01.2019 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–12 का उत्तर प्रतिवेदन।**

| क्र0सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में मात्र 02 सूचना आयुक्त कार्यरत हैं, जो कि राज्य के 24 जिलों का कार्यभार संभाल रहे हैं, जिससे आयोग में सैकड़ों की संख्या में अपीलवाद और शिकायतवाद लंबित हो गया है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य सूचना आयोग में 1 मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 सूचना आयुक्तों का पद सृजित है, जिसमें से वर्तमान में 9 सूचना आयुक्तों का पद रिक्त है; | अस्वीकारात्मक।<br>सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–15(2) के अनुसार राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा–<br>(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ; और<br>(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएँ। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य सूचना आयोग एक अर्द्धन्यायिक संस्था है लेकिन वर्तमान में यहाँ कोई भी Law संकाय का सूचना आयुक्त नियुक्त नहीं है; | विभागीय अधिसूचना सं0–240, दिनांक–01.01.2015 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–15(3) के अधीन राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु माननीय राज्यपाल झारखण्ड को अनुशंसा किये जाने के निमित्त चयन समिति गठित है। उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में ही मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–15(5) में प्रावधानित है कि "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।" |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त 9 रिक्त पड़े पदों पर सुयोग्य सूचना आयुक्तों की बहाली करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ? | उपर्युक्त प्रावधानुसार राज्य सूचना आयोग में एक (01) मुख्य सूचना आयुक्त और एक (01) सूचना आयुक्त नियुक्त एवं कार्यरत हैं। राज्य सूचना आयोग में अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति सम्प्रति प्रक्रियाधीन है। |

**झारखण्ड सरकार,**
**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

ज्ञापांक–11 / वि0स0–06–03 / 2019 का0 524 / राँची दिनांक– 19 जनवरी, 2019

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–396, दिनांक–16.01.2019 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/19
(राज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

# झारखण्ड विधान सभा

## अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

**चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा**
**पंचदश (बजट) सत्र**
**वर्ग-03**

निम्नलिखित अल्प-सचित प्रश्न,सोमवार, दिनांक- 01 माघ,1940 (श0) / 21 जनवरी,2019 (ई0) को

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

| क0 सं0 | विभागों को भेजी गई सां0सं0 | सदस्यों का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागों को भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| उत्तर संलग्न 18. | अ0सू0-03 | श्री फूलचन्द मंडल | मानदेय देना। | पेयजल एवं स्वच्छता | 14.01.19 |
| उ0सं0 19. | अ0सू0-02 | श्रीमती सीमा देवी | मानदेय का भुगतान | ग्रामीण विकास | 12.01.19 |
| ※ उ0सं0 20. | अ0सू0-06 | श्रीमती गीता कोड़ा | योजना में पारदर्शिता। | नगर विकास एवं आवास | 14.01.19 |
| उ0सं0 21. | अ0सू0-05 | श्री राधाकृष्ण किशोर | योजना को चालू कराना। | पेयजल एवं स्वच्छता | 14.01.19 |
| उ0सं0 22. | अ0सू0-01 | श्री सुखदेव भगत | पेयजल की व्यवस्था। | पेयजल एवं स्वच्छता | 12.01.19 |
| उ0सं0 23. | अ0सू0-04 | श्री राधाकृष्ण किशोर | पथों का घनत्व | पथ निर्माण | 14.01.19 |

पूर्व में निर्गत पत्रांक-337,दिनांक-15.01.19 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

राँची,
दिनांक- 21 जनवरी,2019 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-05/2015-......601....../वि0स0,राँची,दिनांक- 19.1.19

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरिवरधारी 19/01/19
(गिरिवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-05/2015-......601....../वि0स0,राँची,दिनांक- 19.1.19

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव /आप्त सचिव सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरिवरधारी 19/01/19
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-05/2015-......601....../वि0स0,राँची,दिनांक- 19.1.19

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

※ शापांक-01 वि0वि-229 दिनांक-16.01.19 के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित ।

गिरिवरधारी 19/01/19
उप सचिव,
[illegible]

माननीय फूलचन्द मंडल, स.वि.स., द्वारा दिनांक 19.01.2019 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं. अ0सू0–03 का उत्तर। 18

| क्र. | क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि | श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जानेवाला उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | क्या यह बात सही है कि ग्रामीण जल प्रबंधन विकेन्द्रीकरण योजना/कार्यक्रम के तहत् झारखण्ड राज्य के ग्रामों में जल एवं स्वच्छता संबंधी चेतना जागरण हेतु जल सहिया का चयन किया गया था; | स्वीकारात्मक |
| 2. | क्या यह बात सही है कि जल सहियाओं द्वारा गाँवों में स्वच्छता आच्छादन हेतु शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराना, जल–जनित रोगों एवं मल–जनित रोगों से रोगमुक्त बनाना तथा पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने का कार्य बिना किसी प्रोत्साहन राशि अथवा मानदेय का किया जा रहा है; | अस्वीकारात्मक<br>पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में जल सहियाओं को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है यह राशि SBM(G), NRDWP एवं NNP मार्गदर्शिका के तहत दी जा रही है। |
| 3 | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्य में कार्यरत जल सहियाओं को सम्मानजन मानदेय देना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | जलसहियाओं को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है तथा समय–समय पर विभिन्न नये कार्यक्रमों में प्रोत्साहन राशि का निर्धारण किया जाता है। |

**झारखण्ड सरकार**
**पेयजल एवं स्वच्छता विभाग**

**ज्ञापांकः** SBM(G)/वि0स0 अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–03 – 88 दिनांक 18.01.19
**प्रतिलिपिः** अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञापांक 227 वि.स. दिनांक 14.01.2019 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/19
संयुक्त सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**ज्ञापांकः** SBM(G)/वि0स0 अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–03 – 88 दिनांक 18.01.19.
**प्रतिलिपिः** सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्रषाखा–5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/19
संयुक्त सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

(19)

श्री सीमा देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक 19.01.2019 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0 02 का उत्तर ।

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| 1. | 2. |
| (1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 में राज्य के पंचायतों में पंचायत स्वयं सेवकों की नियुक्ति नियत मानदेय के आधार पर की गयी है; | अस्वीकरात्मक।<br>पंचायतों के कार्यों में सहयोग हेतु प्रति पंचायत चार स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। उन्हे किसी प्रकार का मानदेय का भुगतान नही किया जाता है। |
| (2) क्या यह बात सही है कि उक्त नियुक्त पंचायत सेवकों को नियुक्ति के पश्चात अब तक एक बार भी मानदेय का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया गया है; | स्वीकारात्मक।<br>विभागीय संकल्प सं0– 1603 दिनांक 20.05.2016 के कंडिका 2 के अनुसार पंचायत सचिवालय के सदस्यों को मासिक नियत मानदेय एवं परिलब्धि का भुगतान नहीं किया जायेगा। उन्हें कार्य के विरूद्ध प्रोत्साहन/सम्मान राशि दी जायेगी, जिसका निर्धारण कार्य कराने वाला संबंधित विभाग करेगा। इस क्रम में इनके द्वारा सम्पादित कार्यों के विरूद्ध प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है। |
| (3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियुक्त पंचायत सेवकों को मानदेय का भुगतान शीध्र करने का विचार विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उपरोक्त दोनों कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0)–04/2019–165–/, राँची, दिनांकः–17.01.19

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 140 दिनांक 12.01.2019 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/19
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0)–04/2019–165–/, राँची, दिनांकः–17.01.19

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

17/1/19
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0)–04/2019–165–/, राँची, दिनांकः–17.01.19

प्रतिलिपिः– उप निदेशक–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/1/19
सरकार के अवर सचिव।

*E:\sunita\Madhav sir Related\Vidhansabha\Question & Answer.docx*

*सुनिता/15.01.2019*

(20)

# श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स०वि०स० से प्राप्त अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–06 का उत्तर प्रतिवेदन

| क्र. सं. | प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्रीमती गीता कोड़ा, मा०स०वि०स० | उत्तरदाता का नाम :– श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग। |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के कुमारडुंगी प्रखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना में मृतकों के नाम आवास आवंटन में फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है, | आंशिक स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि खंड–01 में वर्णित प्रखण्ड के मृतकों के नाम क्रमशः कृष्ण कुमार, रवि गोप, बुधनी देवी, लक्ष्मी सिंकू के नाम फर्जीवाड़ा किया गया है, | प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिला के कुमारडुंगी प्रखण्ड में पंचायत सेवक, मुखिया पति, कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा फर्जी तरीके से 04 गलत लाभुकों को आवास की राशि दी गई थी। इस मामले में कुमारडुंगी थाना में संलिप्त 08 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है (FIR NO-45/2018)। संबंधित पंचायत सेवक श्री युदनाथ दास के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित किया गया है। गलत लाभुकों को भुगतान की गई राशि की शत् प्रतिशत वसूली कर ली गई है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 एवं 02 में उद्धत विषय पर उच्चस्तरीय जाँच कर दोषियों को दंडित करने सह योजना में पारदर्शिता लाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | |

18/01/19
(अनल प्रतीक मिंज)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–07/2019– 306 राँची, दिनांक :– 18·1·19

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

18/01/19
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–07/2019– 306 राँची, दिनांक :– 18·1·19

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स0वि0स0 के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18/01/19
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–07/2019– 306 राँची, दिनांक :– 18·1·19

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

18/01/19
सरकार के अवर सचिव।

(21)

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ.सू. . 05 का उत्तर सामग्री

| क्रं | क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– | श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तरः– |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण पलामू जिलें में वर्ष 2010 से 2012 तक मिनी ग्रामीण पाईप लाईन जलापूर्ति योजना के तहत कुल 150 योजनायें अधिष्ठापित की गई थी ? | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>वर्ष 2010 से 2012 में पलामू जिला अंतर्गत कुल 157 अद्द मिनी ग्रामीण पाईप लाईन जलापूर्ति योजना का निर्माण किया गया है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि वर्णित मिनी ग्रामीण पाईप लाईन जलापूर्ति योजनाओं में से 78 योजनायें बन्द पड़े हुए है, फलस्वरूप लगभग 50 हजार लोगों के समक्ष पेयजल का घोर संकट उत्पन्न हो गया है ? | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>वर्ष 2010 से 2012 तक निर्मित 157 अद्द मिनी ग्रामीण पाईप लाईन जलापूर्ति योजनाओं के विरूद्ध 47 अद्द बन्द है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्डों सरकार बतायेगी कि बन्द पड़े मिनी ग्रामीण पाईप लाईन जलापूर्ति योजनाओं को कब तक चालू करना चाहती है ? | उपरोक्त मिनी ग्रामीण पाईप लाईन जलापूर्ति योजनाओं को चालू करने हेतु प्राक्कलन तैयार कर पंचायती राज, पलामू को 14वें वित्त आयोग से राशि उपलब्ध कराने हेतु भेजी गई। जिसके विरूद्ध 09 योजनाओं के लिए राशि प्राप्त हुई है। जिसमें से 07 अद्द योजनाओं को मरम्मति कर चालू कर दिया गया है। शेष 02 अद्द योजना की मरम्मति का कार्य प्रगति में है। अवशेष 36 योजनायें (47–9) के लिए विभाग से आपदा प्रबधंन से राशि आवंटन हेतु अनुरोध किया गया है। राशि उपलब्ध होने के उपरांत बन्द 36 योजनाओं को चालू कर दिया जायेगा। वर्त्तमान में उक्त टोलों में मानक के अनुसार नलकूप अधिष्ठापित है। |

**झारखण्ड सरकार**
**पेयजल एवं स्वच्छता विभाग**

ज्ञापांक–8/वि.स. (अ.सू.) – 02/2019 (पेय.) —— 55/SWSM दिनांक 18-01-2019

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं.–225, दिनांक–14.01.2019 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.19

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–8/वि.स. (अ.सू.) – 02/2019 (पेय.) —— 55/SWSM दिनांक 18-01-2019

प्रतिलिपिः संयुक्त सचिव/अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.19

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**श्री सुखदेव भगत, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 19.01.2019 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 01 का उत्तर :–**

| | क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– | श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :– |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के 978 आदिवासी गॉवों में पेयजल की सुविधा नहीं है; | राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक राज्य के सभी आदिम जनजाति (PTG) बाहुल्य ग्रामों/टोलों में पेयजलापूर्ति आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 के अन्त तक राज्य के सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) बाहुल्य ग्रामों/टोलों में पूर्ण आच्छादन का लक्ष्य रखा गया है। यह राज्य सरकार के प्राथमिकता में है। |
| 2 | क्या यह बात सही है पश्चिमी सिंहभूम जिला में 291 गाँव, गुमला जिला में 213 गाँव, राँची में 167 गाँव, सिमडेगा के 126 गाँव, लातेहार के 98 गाँव में पेयजल की सुविधा नहीं है; | कंडिका– 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि इन गाँवों में पेयजल की सुविधा नहीं होने के कारण विशेषकर आदिवासी समाज के लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है; | कंडिका– 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |
| 4 | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त आदिवासी गाँवों में पेयजल की व्यवस्था करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो ? | कंडिका– 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

झारखण्ड सरकार

**पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।**

ज्ञापांक :– 7/अ0सू0– 01–28/2018– 305 राँची, दिनांक :– 18/1/19

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय के ज्ञापांक– 141, दिनांक– 12.01.2019 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/19

**(शिव किशोर मिश्र)**
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/अ0सू0– 01–28/2018– 305 राँची, दिनांक :– 18/1/19

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव/उप सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/19

**(शिव किशोर मिश्र)**
सरकार के अवर सचिव।

18/01/19

23

**मा0, स0वि0स0, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा दिनांक 19.01.2019 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–**

| प्रश्नकर्त्ता | उत्तरदाता<br>माननीय मंत्री, प0नि0वि0<br>उत्तर |
|---|---|
| क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –<br>1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य निर्माण के उपरांत वाहनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, किन्तु उस अनुपात में पथ निर्माण विभाग की सड़कों की लम्बाई और चौड़ाई में वृद्धि नहीं होने के कारण पथों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है ;<br>2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में राज्य पथों एवं मुख्य जिला पथों का घनत्व, राष्ट्रीय औसत घनत्व 386 कि0मी0 प्रति 1000 वर्ग कि0मी0 से 242 कि0मी0 कम है ;<br>3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड प्रदेश में राज्य पथों एवं मुख्य जिला के पथों के घनत्व को बढ़ाने हेतु कौन सी कार्रवाई करना चाहती है ? | यह सही है कि झारखण्ड राज्य में राज्य पथों एवं मुख्य जिला पथों का घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है । राज्य में राज्य पथों एवं मुख्य जिला पथों का वित्तीय वर्ष 2018–19 के शुरूवात में घनत्व 146.92 कि0मी0 प्रति 1000 वर्ग कि0मी0 था । वित्तीय वर्ष 2018–19 में 493 कि0मी0 पथों को इस श्रेणी में सम्मिलित कर वर्त्तमान घनत्व 153.06 कि0मी0 किया गया है ।<br>संसाधनों का समुचित उपयोग कर इसे वर्ष 2020–21 तक 165 कि0मी0 प्रति 1000 वर्ग कि0मी0 का लक्ष्य रखा गया है । |

**झारखण्ड सरकार**
**पथ निर्माण विभाग, राँची ।**

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–01/2019 329(1) राँची/दिनांक : 17/01/19

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 223 दिनांक 14.01.2019 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

17/1/19
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–01/2019 329(1) राँची/दिनांक : 17/01/19

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

17/1/19
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।